झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक–30/11/2023

संख्या 8/अ.शि.से.–30/2009 1590 / भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग अन्तर्गत प्रोन्नति के पद हेतु पिरामिड नहीं होने तथा आवश्यकता आधारित पदों का चिन्हितीकरण नहीं होने के फलस्वरूप भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु पूर्व में अधिसूचित **"झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014"** को निरस्त करते हुए अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी के नियुक्ति एवं सेवा शर्त विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:–
   (1) यह **झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023** कही जायेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।
2. परिभाषाएँ :– जब तक कोई बात, विषय/ संदर्भ में अन्यथा न हो इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द/ वाक्यांश :–
   (i) **"राज्य"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
   (ii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।
   (iii) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग।
   (iv) **"संवर्ग पद"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के नियम–4 में उल्लेखित श्रेणियों का पद।
   (v) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
   (vi) **"प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य के शैक्षणिक प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी।
   (vii) **"अवर विद्यालय निरीक्षक"** से अभिप्रेत है, राज्य के शहरी क्षेत्र के लिए पूर्व से सृजित अवर विद्यालय निरीक्षक।
   (viii) **"सहायक शिक्षा अधीक्षक"** से अभिप्रेत है, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षा अधीक्षक के सृजित पद।
   (ix) **"सहायक शिक्षा पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षा पदाधिकारी के सृजित पद।

(x) **''प्रमण्डलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी के सृजित पद।

(xi) **''उप सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्''** से अभिप्रेत है, झारखंड अधिविद्य परिषद् में राज्य सरकार द्वारा उप सचिव का सृजित पद।

(xii) **''राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्''** से अभिप्रेत है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् में राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का सृजित पद।

(xiii) **''सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, जे.सी.ई.आर.टी.''** से अभिप्रेत है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (जे.सी.ई.आर.टी) में राज्य सरकार द्वारा सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी का सृजित पद।

(xiv) **''सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण''** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी का सृजित पद।

(xv) **''सहायक शिक्षा योजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा''** से अभिप्रेत है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षा योजना पदाधिकारी का सृजित पद।

(xvi) **''सहायक शिक्षा योजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा''** से अभिप्रेत है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षा योजना पदाधिकारी का सृजित पद।

(xvii) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग।

(xviii) **''नियमावली''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023।

(xix) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, पंचाग वर्ष ।

(xx) **''सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव''** से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

(xxi) **''निदेशक, प्राथमिक शिक्षा''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक।

3. (क) अवर शिक्षा सेवा संवर्ग राज्यस्तरीय होगा एवं इसके सदस्य अराजपत्रित होंगे।

(ख) झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पद एवं पदसोपान निम्नवत् होगें:--

क्र	कोटि	पदनाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
(क)	कोटि–1 (मूल कोटि)	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / अवर विद्यालय निरीक्षक	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4200 (Level-6)	समूह– ''ख''	अराजपत्रित
(ख)	कोटि–2	सहायक शिक्षा अधीक्षक (स्था० तथा विधि अनुश्रवण एवं	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह– ''ख''	अराजपत्रित

		निरीक्षण)			
(ग)		सहायक शिक्षा अधीक्षक (आधारभूत संरचना अनुश्रवण एवं निरीक्षण)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(घ)		सहायक शिक्षा पदाधिकारी (स्था0 एवं विधि अनुश्रवण एवं निरीक्षण)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ड.)		सहायक शिक्षा पदाधिकारी (आधारभूत संरचना अनुश्रवण एवं निरीक्षण)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(च)		प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी (स्था0 एवं विधि अनुश्रवण एवं निरीक्षण)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(छ)		प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी (आधारभूत संरचना अनुश्रवण एवं निरीक्षण)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4600 (Level-7)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ज)	कोटि–3	उप सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(झ)		सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ञ)		सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (जे.सी.ई.आर.टी)	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ट)		सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ठ)		सहायक शिक्षा योजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित
(ड)		सहायक शिक्षा योजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	PB-II, Rs. 9300-34800, GP- 4800 (Level-8)	समूह–"ख"	अराजपत्रित

अध्याय–2

भर्ती / नियुक्ति

4. (1) झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा अन्तर्गत प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(2) अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के वेतनमान में ही होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्च वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(3) इस संवर्ग में नियुक्त किसी भी पदाधिकारी का अपने संवर्ग अंतर्गत कार्यरत पद एवं कोटि के अनुरूप किसी भी जिले में स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा सकेगा।

(4) झारखंड अवर शिक्षा सेवा के रिक्तियों के विरूद्ध सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा

राजभाषा विभाग झारखंड, राँची द्वारा इस संबंध में निर्गत नियमों के अनुरूप आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(5) इस नियामवली अधिसूचित होने के पूर्व निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु 10 प्रतिशत पद उपलब्ध रहेंगे। निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में नई नियुक्ति करने का प्रावधान समाप्त है जिससे यह Dyeing Cadre हो गया है। वर्त्तमान कार्यरत बल के समाप्त होने के उपरांत 10 प्रतिशत का प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाएगा।

5. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/ अवर विद्यालय निरीक्षक कोटि–01 (मूल कोटि) के रिक्तियों की नियतिकरण हेतु आधार तिथि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–13026, दिनांक–27.11.2021 के आलोक में पहली जनवरी को रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आदेश प्राप्त कर भेजी जाएगी।

6. इस सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति अध्याय–3 में वर्णित प्रक्रिया के तहत एवं प्रोन्नति की कार्रवाई नियम 16 में अंकित समिति की अनुशंसा के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी।

अध्याय–3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

7. **योग्यता** – कोटि–01 (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निम्नवत् होगी।

(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/बी0टेक/ बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/ एल0एल0बी0 एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

(ii) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31.05.2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों।

अथवा

(iii) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक / बी0टेक / बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 / एल0एल0बी0 एवं द्विवर्षीय बी.एड.

अथवा

(iv) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक / बी0टेक / बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 / एल0एल0बी0 एवं द्विवर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

अथवा

(v) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक / बी0टेक / बी0बी0ए0 / बी0सी0ए0 / एल0एल0बी0 एवं 4 वर्षीय बी.ए. / बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड. / बी.एस.सी.एड.

8. (1) परीक्षा की संरचना, विषय का निर्धारण निम्नवत् होगा :–

प्रथम पत्र	*(i) झारखण्ड कर्मचारी चयन परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) निमयावली–2023) एवं (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रावधानित क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे।*	कुल 100 अंक	प्रथम पाली
द्वितीय पत्र	(ii) सामान्य अध्ययन एवं कम्प्यूटर योग्यता	कुल 100 अंक	द्वितीय पाली
तृतीय पत्र	(iii) शिक्षा का सिद्धांत	कुल 100 अंक	तृतीय पाली

नोट : नेत्र दिव्यांगों के लिए परीक्षा अवधि में अतिरिक्त तीस मिनट का समय प्रदान की जाएगी।

(i) परीक्षा का कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा एवं प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। परन्तु भाषा के प्रश्न उसी भाषा में होंगे।

(iii) प्रथम पत्र भाषा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3928, दिनांक–11.08.2020 द्वारा वर्गवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लाना अनिवार्य होगा। इस विषय में न्यूनतम अर्हतांक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जॉच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा।

(iv) मेधा सूची का निर्माण द्वितीय एवं तृतीय पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के

संकल्प संख्या–3928, दिनांक–11.08.2020 द्वारा वर्गवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लाना अनिवार्य होगा।

9. **उम्र सीमा** :– सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है। परन्तु जिस पंचाग वर्ष में अधियाचना की जाएगी उसकी पहली अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु 21 वर्ष होगी।

10. सीधी नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग अधिकत्तम प्राप्तांक के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन कर रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में सूची तैयार कर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएगा।

11. आयोग से प्राप्त यथा सूची/अनुशंसा के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आदेश प्राप्त कर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

अध्याय–4

सेवा संपुष्टि एवं प्रोन्नति

12. (1) **परीक्ष्यमान् अवधि एवं सेवा संपुष्टि** :– परीक्ष्यमान् अवधि दो वर्ष की होगी तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं परीक्ष्यमान् अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा सेवा संपुष्टि की कार्रवाई की जा सकेगी।

(2) विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :–

क्र0	परीक्षा का नाम	परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था/ विभाग
1	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची
2	**प्रश्न पत्र** 1. झारखण्ड सेवा संहिता/ झारखण्ड कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली/ झारखण्ड पेंशन नियमावली/ झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली/झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली/ झारखण्ड सामान्य ग्रुपबीमा नियमावली/ झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 ।	राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची

13. **वेतन वृद्धि** :–

(i) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जा सकेगी तथा उपर्युक्त कंडिका–02 में उल्लेखित विभागीय परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। अग्रेतर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ सेवा सम्पुष्टि की तिथि से देय होगी।

(ii) विहित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा सेवा सम्पुष्टि न होने की स्थिति में देय वेतन वृद्धि असंचायात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी। विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने अथवा सेवा संपुष्टि हो जाने पर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ इस प्रकार पुनर्निधारित की जायेंगी मानो वे रोकी नहीं गयी थी किन्तु रोकी गयी वेतन वृद्धियों की अवधि के लिये अनुमान्य बकाया वेतन देय नहीं होगा। परन्तु इस नियमावली के पवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त पदधारकों के लिये पूर्व से लागू वेतन वृद्धि संबंधी प्रावधान प्रभावी होंगे।

(iii) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग विभागीय परीक्षा के संबंध में नियमावली गठित करेगा।

14. सेवा संपुष्टि के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का विगत पांच वर्ष का वार्षिक गोपनीय चारित्री, विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति, आरोप की स्थिति एवं संपत्ति विवरणी इत्यादि के आधार पर वरीयता के अनुरूप सेवा संपुष्ट योग्य पदाधिकारियों के प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

15. प्रोन्नति हेतु चिन्हित् पदों को आरक्षण रोस्टर के अनुसार निम्नवत् काल अवधि के पश्चात् विभिन्न कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी :–

क्र0	पदनाम	काल अवधि
1	कोटि–01 से कोटि–02	08 वर्ष
2	कोटि–02 से कोटि–03	08 वर्ष
3	कोटि–03 से राज्य शिक्षा सेवा वर्ग –02	08 वर्ष

i) झारखण्ड शिक्षा सेवा नियमावली, 2015 के नियम–6 (i) के आलोक में अनुलग्नक– । में वर्णित मूल कोटि के पदों पर की जाएगी।

16. निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रोन्नति एवं अवर शिक्षा सेवा के संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति का निर्णय निम्नलिखित समिति द्वारा लिया जाएगा :–

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	–	अध्यक्ष
2. वरीयतम क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	–	सदस्य
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित अनु.जाति/अनु. जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	–	सदस्य

4. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची द्वारा मनोनित पदाधिकारी	—	सदस्य
5. उप निदेशक / विषय प्रभारी, प्राथमिक शिक्षा	—	सदस्य सचिव

अध्याय–5

स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अपीलीय प्राधिकारी

17. **स्थानान्तरण** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के प्रावधानों के तहत् पदाधिकारियों का स्थानान्तरण (ऑन–लाईन / ऑफ लाईन) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी।

18. **अनुशासनिक कार्रवाई** :– झारखण्ड सेवा संहिता असैनिक (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील एवं अनुशासन) नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी।

19. **अपीलीय प्राधिकारी** :– इस नियमावली के किसी भी नियम के अधीन निर्गत आदेश, दंड अधिरोपन, प्रोन्नति, नियुक्ति आदि से विक्षुब्ध पदाधिकारी आदेश निर्गत होने के 60 दिनों के अंदर अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे।

अध्याय–6
विविध

20. **संवर्ग नियंत्रण** :– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

21. **वरीयता का निर्धारण** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के आधार पर इस सेवा के कर्मियों की वरीयता निर्धारित की जाएगी।

अध्याय–7
अन्यान्य

22. **कठिनाईयों का निवारण** :– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगें, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

23. **निरसन एवं व्यावृति** :– इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या–1405 दिनांक 18.07.2014) को निरसित समझा जाएगा।

परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

24. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को संशोधित कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

29/11/23

(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 8/अ.शि.से.–30/2009 1590 राँची, दिनांक 30/11/2023

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियों अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

29/11/23
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 8/अ.शि.से.–30/2009 1590 राँची, दिनांक 30/11/2023

प्रतिलिपि:– झारखण्ड राज्य के माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड/सदस्य राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/23
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 8/अ.शि.से.–30/2009 1590 राँची, दिनांक 30/11/2023

प्रतिलिपि:– महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/23
सरकार के सचिव।